

## कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

6/C

### सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वाह्य न्यायालय मुँबाद, गाजीपुर में स्थित निम्नलिखित दुकानों की नीलामी जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है प्रत्येक वर्ष की भौति इस वर्ष भी आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु नियमानुसार दिनांक 26/03/2019 को सायं 03.00 बजे वाह्य न्यायालय मुँबाद, गाजीपुर में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित होकर नीलामी बोली में भाग ले सकते हैं, नीलामी की शर्तें निम्नवत हैं :-

- 1- सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, लेकिन साथ ही जनपद न्यायाधीश महोदय को किसी भी उच्चतम बोली को बिना कारण बताये सरसरी तौर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 2- बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व प्रत्येक दुकान हेतु रु 3,000/- की नकद धनराशि बतौर जमानत पृथक-पृथक जमा करनी होगी।
- 3- सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा ठेका पर ली गयी दुकान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 4- प्रत्येक दुकानदार को मूल्य सूची दुकान पर लगानी होगी। दुकान तथा उसके आस-पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा। दुकान पर बिकने वाली समस्त खाद्य सामग्रियों ताजी एवं स्वच्छ होनी चाहिए। धूल एवं मकियों से बचाने हेतु खाद्य सामग्रियों को ढक कर रखना होगा, ऐसा न करने पर ठेका किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
- 5- जनपद न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को खाद्य सामग्रियों उचित मूल्य पर देना होगा, जिसकी दरे प्रभारी अधिकारी, नजारत द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- 6- प्रभारी अधिकारी, नजारत किसी भी समय किसी भी दुकान की जाँच कर सकते हैं। संबंधित दुकानों की जाँच करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 7- नीलामी की कार्यवाही होने के पश्चात प्रत्येक ठेकेदार को 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा कराना होगा तथा नीलामी बोली अनुमोदित होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा कराना होगा।
- 8- जिस ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 अथवा इसके पूर्व के ठेके की शतप्रतिशत धनराशि जमा नहीं की गयी है, उसे वित्तीय वर्ष 2019-20 के ठेके में बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

### दुकानों का विवरण।

क्र० सं०	दुकान का विवरण	न्यूनतम नियत सरकारी बोली
1	पान की दुकान नं०-१	रु 11,300/-
3	चाय, नमकीन एवं मीठा की दुकान	रु 19,000/-
4	फोटो स्टेट की दुकान	रु 12,400/-
5	सायकिल स्टैण्ड	पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में नीलामी नहीं हई थी।
6	पान की दुकान नं०-२	पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में नीलामी नहीं हई थी।

दिनांक—मार्च 16, 2019

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-२/

अध्यक्ष, कृषि समिति,  
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

मा 16-३-१९

(अवधि बिहारी सिंह)

1- प्रतिलिपि सिविल जज (जू०डि) मुँबाद/प्रभारी नजारत, वाह्य न्यायालय मुँबाद, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार समस्त औपचारिकताएँ दिनांक 25.03.2019 को सायं 4.00 बजे तक सुनिश्चित करा ले जिससे कि दिनांक 26.03.2019 को सायं 3.00 बजे नीलामी की कार्यवाही नियमानुसार प्रारम्भ करायी जा सके।

2- प्रतिलिपि नोडल आफिसर, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि निम्नलिखित कार्यालयों को नोटिस बोर्ड एवं सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु प्रेषित :-

- 1- नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिलाधिकारी, गाजीपुर।
- 2- नोटिस बोर्ड, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
- 3- नोटिस बोर्ड, कार्यालय अध्यक्ष, जिला पंचायत, गाजीपुर।
- 4- नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
- 5- नोटिस बोर्ड, कार्यालय तहसीलदार, सदर, गाजीपुर।
- 6- नोटिस बोर्ड, कार्यालय विकास भवन, गाजीपुर।
- 7- नोटिस बोर्ड, कार्यालय उपजिलाधिकारी, मुँबाद, गाजीपुर।
- 8- नोटिस बोर्ड, कार्यालय तहसीलदार, मुँबाद, गाजीपुर।
- 9- नोटिस बोर्ड, कार्यालय उपजिलाधिकारी, सैदपुर, गाजीपुर।
- 10- नोटिस बोर्ड, कार्यालय तहसीलदार, सैदपुर, गाजीपुर।
- 11- नोटिस बोर्ड, केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
- 12- नोटिस बोर्ड, वाहय न्यायालय नजारत, मुँबाद, गाजीपुर।
- 13- नोटिस बोर्ड, वाहय न्यायालय नजारत, सैदपुर, गाजीपुर।
- 14- उपनाजिर, मुँबाद को 10 प्रतियों में सार्वजनिक स्थान पर चस्पा कराने हेतु।

दिनांक-मार्च 16, 2019

*Abay*  
(अवध बिलरी सिंह)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं-2/  
अध्यक्ष, क्रय समिति,  
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

*16-3-19*